न्यायमूर्ति आरपी नागरथ के समक्ष

संजय गोयल-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाता

CRM-M-8808 of 2013

28 अक्टूबर 2013

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 311 - "समनिंग" - "अतिरिक्त गवाह" - याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306, 120-11 के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है - एक गवाह की जांच के बाद

धारा 311, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत आवेदन। शिकायतकर्ता द्वारा अतिरिक्त गवाहों को बुलाने और उनकी जांच करने के लिए दायर किया गया - आवेदन की अनुमति - आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई - माना गया, अदालत अतिरिक्त गवाहों को या तो स्वत: संज्ञान लेकर या किसी भी पक्ष के आवेदन पर बुला सकती है और उनकी जांच कर सकती है - अदालत ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है और उसकी जांच कर सकती है यदि उसके साक्ष्य हैं मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है - याचिका खारिज।

अभिनिर्धारित किया गया कि मेरा विचार है कि ट्रायल कोर्ट अतिरिक्त गवाहों को बुलाने और उनसे पूछताछ करने या पहले से ही जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाने और दोबारा जांच करने के लिए विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह स्वत: संज्ञान ले या दोनों पक्षों के आवेदन पर। सीआरपीसी की धारा 311 कहती है कि कोई भी अदालत, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है, या उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकती है, भले ही उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया हो, या वापस बुला सकती है और पहले से जांचे गए किसी भी व्यक्ति की दोबारा जांच करना; और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा और उसकी जांच करेगा या वापस बुलाएगा और पुनः जांच करेगा यदि उसका साक्ष्य मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

(पैरा 12)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामले में जो एकमात्र सुरक्षा उपाय किया जा सकता है, वह यह है कि बचाव पक्ष सीआरपीसी की धारा 311 के तहत समन के आधार पर ऐसे गवाह की मुख्य परीक्षा दर्ज होने के बाद गवाहों से जिरह करने के लिए समय मांगने की प्रार्थना कर सकता है। उस घटना में, किसी भी तरह से अंदर के आरोपी/उस पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा,

(पैरा 13)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि ,यह ऐसा मामला नहीं है जहां कमियों को पूरा करने के लिए अंतिम समय में प्रार्थना की गई है, बल्कि जल्द से जल्द संभव अवसर पर

प्रार्थना की गई है। उद्धृत किए जाने वाले और जांचे जाने वाले गवाह उन दस्तावेजों से संबंधित हैं जो चालन की प्रस्तुति से पहले अस्तित्व में थे,

(पैरा 14)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि ,उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुझे विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रयोग किए गए विवेक में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है, यहां की गई टिप्पणियों के अधीन और मामले की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तत्काल याचिका खारिज कर दी जाती है।

(पैरा 20)

मैं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इकमंत बस्सी हूं

मनीष डीसीस्वाल, डीएजी, हरियाणा।

विवेक खत्री, प्रतिवादी नंबर 2 के वकील।

न्यायमूर्ति आरपी नागरथ,

(1) यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2013 (अनुलग्नक पी-8) को रद्द करने के लिए एक याचिका है, जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन को एफआईआर संख्या 621 दिनांक 06.09.2007में अनुमति दी गई थी। पुलिस थाना सिटी हिसार में धारा 306 व 120-बी आईपीसी के तहत.

(2) अभियोजन की कहानी का संक्षेप में वर्णन करने के लिए, मृतक नरेंद्र कुमार की शादी 01.03.2006 को शिखा से हुई थी और वह इस विवाह से एक बच्चा था। दिनांक 06.09.2007 को मृतक लगभग 7 बजे अपनी पत्नी को लेने के लिए घर से निकला। बाद में शिकायतकर्ता के दूसरे बेटे अनिल कुमार को पृथ्वीराज के सह-अभियुक्त से फोन आया कि मृतक नरेंद्र कुमार अस्वस्थ हैं और याचिकाकर्ता पृथ्वी राज के बेटे संजय गोयल के घर पर हैं और उन्हें तुरंत पहुंचने के लिए कहा। शिकायतकर्ता, जो मृतक का पिता है, ने फिर से सह-अभियुक्त पृथ्वी राज से पूछताछ की और उन्हें बताया गया कि मृतक अपोलो अस्पताल, हिसार में भर्ती था। याचिकाकर्ता ने बताया कि मृतक ने सल्फास की गोली खाई है और बाद में उसकी मौत हो गई, यह कहा गया कि नर्कचंद्र कुमार काफी परेशान थे क्योंकि उन्हें याचिकाकर्ता की पत्नी डिंपल से फोन आ रहे थे। जांच पूरी होने पर याचिकाकर्ता सहित तीन आरोपियों के खिलाफ धारा 173 सीआरपीसी के तहत आरोप पत्र एरिया मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जांच के दौरान कॉल डिटेल भी एकत्रित कर चालान के साथ संलग्न की गई।

(3) शिकायतकर्ता प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि आरोप तय होने के बाद अब तक केवल एक गवाह से पूछताछ की गई है और यहां तक कि शिकायतकर्ता से भी पूछताछ नहीं की गई है। निम्नलिखित गवाहों को बुलाने और उनसे पूछताछ करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था: -

(1) अनिल पुत्र शाम सुंदर; (2) प्रभारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय की अपराध शाखा, हिसार , अगस्त और सितंबर, 2007 के महीने से आउटगोइंग/इनकमिंग कॉल रिकॉर्ड के साथ।

निम्नलिखित टेलीफ़ोन नंबर (i) 9255490658; (ii)9255173773; (iii) 9255288074; और (iv) 9255149888; (3) टाटा इंडिकॉम के संबंधित अधिकारी, रेड स्क्वायर मार्क्ड, अगस्त और सितंबर, 2007 के महीने के लिए निम्नलिखित टेलीफोन नंबरों के कॉल रिकॉर्ड/आईडी रिकॉर्ड/टॉवर रिकॉर्ड के साथ (i) 92554-90658; (ii) 9255173773; (iii) 9255288074; और (iv) 9255149888;(4)वीआर.के. एसपी कार्यालय हिसार के साथ का आवेदनों 07.09.2007 को मुख्यमंत्री, हरियाणा, चंडीगढ़ को भेजे गए और 03.10.2007 को मुख्यमंत्री, हरियाणा ,चंडीगढ़ को उपरोक्त आवेदन के साथ एसपी, हिसार को अनुस्मारक भेजा गया। और (5) सुरिंदर पुत्र संत राम, निवासी अग्रसैन कॉलोनी, सिरसा।

(4) गवाह नंबर 1 के लिए, यह कहा गया था कि अनिल कुमार को पृथ्वी राज से फोन आने के तथ्य का उल्लेख एफआईआर में किया गया था, लेकिन अनिल कुमार का उल्लेख नहीं किया गया था। जांच के दौरान, मृतक नरेंद्र कुमार, आरोपी डिंपल और अन्य के मोबाइल फोन का कॉल रिकॉर्ड एकत्र किया गया और चालान के साथ संलग्न किया गया, लेकिन उस रिकॉर्ड को साबित करने के लिए संबंधित गवाहों का हवाला नहीं दिया गया है। वे ऊपर क्रम संख्या 2 और 3 पर गवाह हैं। आगे कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा मूल आवेदन दिनांक 07.09.2007 को मुख्यमंत्री, हरियाणा को दिया गया था और पुलिस अधीक्षक, हिसार को अनुस्मारक भी भेजा गया था। आवेदन के साथ अनुस्मारक दिनांक 03.10.2007 की प्रति संलग्न थी। इसलिए, क्रम संख्या 4 पर गवाह की जांच करके उक्त रिकॉर्ड का उत्पादन आवश्यक है। यह मुख्यमंत्री का कार्यालय बताया गया है। मैंने रियाल कोर्ट को यह भी सूचित किया कि उक्त आवेदन मुख्यमंत्री के कार्यालय में प्राप्त हुआ था और 17.09.2007 को पुलिस अधीक्षक, सिरसा को भेज दिया गया था। उक्त आवेदन का प्रस्तुतीकरण भी आवश्यक है। सुरिंदर गवाह का नाम उक्त आवेदन दिनांक 07.09.2007 में सेन ए आई क्रमांक 5 अंकित है, जिसका परीक्षण भी प्रकरण के न्यायोचित निर्णय हेतु आवश्यक है।

(5) उक्त आवेदन का जवाब छुपाया गया और याचिकाकर्ता ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति और अंतिम बार देखे जाने आदि के जाली साक्ष्य लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उत्तर में यह स्वीकार किया गया कि शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को दिनांक 07.09.2007 को एक आवेदन भेजा था और पुलिस अधीक्षक, हिसार ,को दिनांक 03.10.2007 को अनुस्मारक भी भेजा था, वह केवल न्यायेतर स्वीकारोक्ति की कहानी गढ़ने के लिए है। यह और भी उलझा हुआ है कि पहले शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 09.03.2009 को एक आवेदन दायर किया गया था, दिनांक 07.09.2007 को आवेदन के साथ पुलिस अधीक्षक के रिकॉर्ड क्लर्क को तलब किया और उसकी जांच की, लेकिन उसे ट्रायल कोर्ट ने 20.12.2010 को उसी स्तर पर खारिज कर दिया था। विद्वान

वकील का मानना है कि एक ही उद्देश्य के लिए की गई प्रार्थना झूठी नहीं होगी।

(6) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, बासी वकील और शिकायतकर्ता के वकील को काफी विस्तार से सुना है और वर्तमान याचिका में कोई बल नहीं पाया है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि तत्काल आवेदन शिकायतकर्ता द्वारा दायर किया गया था, न कि सरकारी वकील द्वारा और इसलिए, निजी पक्ष के कहने पर ऐसा आवेदन सत्र न्यायालय द्वारा आपराधिक मुकदमे के अभियोजन के रूप में नहीं है। लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जायेगा। तर्क रिकॉर्ड से बाहर नहीं है और निचली अदालत के 28.02.2013 के आदेश में यह देखा गया है कि अतिरिक्त गवाहों को बुलाने और बुलाने के लिए यह आवेदन सरकारी वकील द्वारा भेजा गया था। मैं वर्तमान याचिका के जवाब में, प्रतिवादी-राज्य ने विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है।

(8) जहां तक सीरियल नंबर 2 और 3 के गवाहों का संबंध है, आक्षेपित आदेश को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि चैलन रिपोर्ट में ही कहा गया है कि मोबाइल फोन का विवरण एकत्र किया गया था और आरोप पत्र के साथ संलग्न किया गया था। लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त रिकॉर्ड एकत्र करने वाले पुलिस अधिकारी और उक्त रिकॉर्ड के संबंध में मोबाइल कंपनी के अधिकारी का उल्लेख गवाहों की सूची में नहीं किया गया है।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के रिकॉर्ड को तलब करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा दायर पहले आवेदन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 20.12.2010 को पारित आदेश का उल्लेख किया, साथ ही दिनांक 07.09.2007 को मुख्यमंत्री, हरियाणा को भी आवेदन दिया था। उस आवेदन को खारिज कर दिया गया था लेकिन यह देखा गया कि उक्त आदेश अभियोजन पक्ष को अगले चरण में आवेदन दायर करने से नहीं रोकेगा। वह आवेदन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय होने से पहले ही दायर किया गया था। उस स्तर पर भी दिनांक 07.09.2007 के ऐसे आवेदन का अस्तित्व विवादित था। हालाँकि, यह देखा गया कि यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य की आवश्यकता हो तो शिकायतकर्ता बाद के चरण में आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(10) उपरोक्त तर्कों को ट्रायल कोर्ट द्वारा भी विस्तृत रूप से निपटाया गया है, जबकि इन गवाहों को भी उद्धृत करने और जांच करने की अनुमति दी गई है। यह देखा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा भेजा गया मूल आवेदन दिनांक 07.09.2007 और पुलिस अधीक्षक, हिसार को भेजा गया अनुस्मारक दिनांक 03.10.2007, के साथ वी.आर.के. कार्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हिसार। आवेदन के साथ दिनांक 07.09.2007 के अनुस्मारक दिनांक 03.10.2007 की प्रति भी संलग्न थी।

(11) याचिकाकर्ता के वकील ने आगे तर्क दिया कि इतनी संख्या में गवाहों को बुलाने का सहारा अभियोजन पक्ष की कमियों को पूरा करने के समान है और इससे आरोपियों की आसानी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161

के तहत दर्ज नहीं किए गए थे। इस प्रकार, अभियुक्त को पिछले बयानों के साथ गवाहों का सामना करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा।

(12) मेरा विचार है कि ट्रायल कोर्ट किसी भी पक्ष के आवेदन पर अतिरिक्त गवाहों को बुलाने और उनसे पूछताछ करने या पहले से ही जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाने और दोबारा जांच करने के लिए विवेक का प्रयोग कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 311 कहती है कि कोई भी अदालत, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है, या उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकती है, भले ही उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया हो, या वापस बुला सकती है। पहले से जांचे गए किसी भी व्यक्ति की दोबारा जांच करना; और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा और उसकी जांच करेगा या उसे वापस बुलाएगा और दोबारा जांच करेगा यदि उसका साक्ष्य उसे सहजता के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

(13) ट्रायल कोर्ट ने इन व्यक्तियों की जांच को उन परिस्थितियों में आवश्यक पाया है, जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रयोग किए गए उक्त विवेक को रद्द करने के लिए आसान, मजबूत और ठोस आधार तैयार किया जाना चाहिए। एकमात्र सुरक्षा उपाय जो इतनी आसानी से किया जा सकता है वह यह है कि धारा 311 सीआरपीसी के तहत सम्मन के आधार पर ऐसे गवाह की मुख्य परीक्षा दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष गवाहों से जिरह करने के लिए समय मांगने की प्रार्थना कर सकता है। उस स्थिति में, किसी भी तरह से आरोप/पैक्टिशनसीआर पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

(14) यह कोई आसान बात नहीं है जहां कमियों को पूरा करने के लिए अंतिम समय में प्रार्थना की गई है, बल्कि जल्द से जल्द संभव अवसर पर प्रार्थना की गई है। उद्धृत किए जाने वाले और जांचे जाने वाले गवाह उन दस्तावेजों से संबंधित हैं जो चालान पेश करने से पहले अस्तित्व में थे।

(15) राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2013 (3) आरसीआर (आपराधिक) 726 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिन्हें संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन से निपटते समय ध्यान में रखना होगा। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 -

(1) क्या न्यायालय का यह सोचना सही है कि नये साक्ष्य की उसे आवश्यकता है? क्या किसी मामले के उचित निर्णय के लिए धारा 311/ के तहत मांगे गए साक्ष्य को न्यायालय द्वारा नोट किया गया है?

(11) सीआरपीसी की धारा 311 के तहत व्यापक विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि निर्णय तथ्यों की अव्यवस्थित, अनिर्णायक काल्पनिक प्रस्तुति पर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

(हाय) यदि किसी गवाह का साक्ष्य न्यायालय को मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाने और जांच करने या वापस

बुलाने और पुनः जांच करने की न्यायालय की शक्ति है।

(iv) सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल सच्चाई का पता लगाने या ऐसे तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, जिससे मामले का उचित और सही निर्णय हो सके।

(v) उक्त शक्ति के प्रयोग को अभियोजन मामले में कमी को पूरा करने के रूप में नहीं करार दिया जा सकता है, जब तक कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट न हो जाए कि न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग से अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का अपराध।

(vi) 'व्यापक विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से।

(vii) न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि मामले के उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए ऐसे गवाह से पूछताछ करना या उसे आगे की परीक्षा के लिए वापस बुलाना हर तरह से आवश्यक है।

(viii) सीआरपीसी की धारा 311 का उद्देश्य एक साथ न्यायालय पर सत्य का निर्धारण करने और उचित निर्णय देने का कर्तव्य डालता है।

(ix) 'न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचता है (अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक है, इसलिए नहीं कि इसके बिना निर्णय सुनाना असंभव होगा, बल्कि इसलिए कि ऐसे साक्ष्यों पर विचार किए बिना न्याय की विफलता होगी।

(x) विवेक का प्रयोग करते समय स्थिति की तात्कालिकता, निष्पक्ष खेल और अच्छी समझ सुरक्षा गार्ड होनी चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुकदमे में किसी भी पक्ष को त्रुटियों को सुधारने से रोका नहीं जा सकता है और यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है या किसी भी असावधानी के कारण प्रासंगिक सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है, तो न्यायालय को ऐसी गलतियों की अनुमति देने के लिए उदार होना चाहिए।

(xi) न्यायालय को इस स्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए कि आखिरकार मुकदमा मूल रूप से कैदियों के लिए है और (उसे न्यायालय को यथासंभव निष्पक्ष तरीके से उन्हें अवसर देना चाहिए। तर्क की उस समानता में, इसके पक्ष में गलती करना सुरक्षित होगा) (उसने बचाव करने के बजाय अवसर प्राप्त करने का आरोप लगाया (उसने आरोपी की कीमत पर संभावित पूर्वाग्रह के खिलाफ मुकदमा चलाया)। अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए (ऐसी विवेकाधीन शक्ति का अनुचित या मनमौजी प्रयोग अवांछनीय परिणाम दे सकता है)।

(xii) अतिरिक्त साक्ष्य को छद्म रूप में या किसी भी पक्ष के विरुद्ध मामले की प्रकृति

को बदलने के लिए प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।

(xiii) शक्ति का प्रयोग यह ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, वे संबंधित मुद्दे के लिए प्रासंगिक होंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दूसरे पक्ष को खंडन का अवसर दिया जाए।

(xiv) इसलिए, सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा केवल मजबूत और वैध कारणों से न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए और इसका उपयोग सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए निष्पक्ष सुनवाई में आरोपी, पीड़ित और समाज का हित शामिल है और इसलिए, संबंधित व्यक्तियों को निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करना एक संवैधानिक लक्ष्य के साथ-साथ एक मानव अधिकार भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(16) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तथ्य इस प्रकार थे:-

(17) जब हम हाथ में मामले की जांच करते हैं, तो (वह)।

सबसे पहले, यह कहना होगा कि (उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश पारित करते समय उन प्रमुख उद्देश्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जिनके साथ धारा 311 सीआरपीसी के तहत प्रावधान को क़ानून की किताब में लाया गया है।/सही तर्क दिया गया है) अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा, सबसे पहले जब मुकदमा ट्रायल कोर्ट की पकड़ में था, जिसके पास अपीलकर्ता को सुनने का हर अवसर था, राज्य, साथ ही दूसरे प्रतिवादी ने, यह सत्यापित करने की भी जहमत नहीं उठाई थी कि क्या अपीलकर्ता, जो आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा था, को उच्च न्यायालय की कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने पहली सुनवाई की तारीख पर ही आदेश पारित कर दिया था, इसमें शामिल परिणामों की परवाह किए बिना। आदेश विद्वान सत्र द्वारा संबंधित किसी भी मुद्दे को प्रतिबिंबित नहीं करता है। न्यायाधीश, जब उन्होंने पीडब्ल्यू की दोबारा जांच करने की मांग में उत्तरदाताओं के आवेदन को खारिज कर दिया-

(9) यहाँ दूसरा प्रतिवादी। हालाँकि इस अपील में मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजकर, और अंतिम आदेश पारित करने के लिए पूरी सामग्री रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने के कारण आदेश पारित किए जा सकते थे। चूंकि सभी पक्ष हमारे सामने थे, सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18. 11.2009 की सत्यता की जांच की जा सकती है और वर्तमान आपराधिक अपील में ही किसी न किसी तरह से अंतिम आदेश पारित किया जा सकता है।

(25) उस दृष्टिकोण से, जब हम बुनियादी तथ्यों की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि विद्वान ट्रायल जज द्वारा नोट किए गए अनुसार वे निर्विवाद रूप से दूसरे प्रतिवादी द्वारा 8.7.1999 को पुलिस स्टेशन में मामले संख्या 71/1999 में दी गई शिकायत के विपरीत हैं, जिसमें शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ धारा 324/307/34/पीसी के तहत अपराध दर्ज किए गए। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अभियोग क्रमांक 127/99

दाखिल किया गया। दिनांक 31.10.1999, धारा 324/307/34आईपीसी के तहत और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। 'उक्त मामले की सुनवाई चल रही थी और पक्ष भाग ले रहे थे। मुकदमे के दौरान, पीडब्लू-9 की जांच की बारी, दूसरा प्रतिवादी दिनांक 6.3.2007 को लगभग घटना के आठ साल बाद आया । दूसरे प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट बयान दिया कि उसने कभी भी पुलिस को कोई बयान नहीं दिया, न ही घटना की तारीख पर उसे पीटा गया था, न ही उसे कोई गोली लगी थी। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें जो चोट लगी है वह शौचालय बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने के कारण लगी है, जहां कुछ उपकरणों के कारण उन्हें चोट लगी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट बयान दिया कि उनके बेटे पीडब्ल्यू-4 और 5, ललब्लू और मुन्ना कुमार घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे क्योंकि एक लुलसगंज के एक छात्रावास में रह रहा था और दूसरा घटना की तारीख और समय पर रांची में था। , अर्थात्, 07,07.1999 को, लगभग 5 बजे, जबकि दूसरे प्रतिवादी के उक्त संस्करण को 16.3.2007 को निचली अदालत द्वारा दर्ज किया गया था, और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को 4.4.2007को बंद कर दिया जाना था। बचाव साक्ष्य भी शुरू हो गए प्रतीत होते हैं।

(26) उस परिदृश्य में, दूसरे प्रतिवादी ने 24.8.2007 को धारा 311 सीआरपीसी के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया, यानी, ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी जांच के लगभग पांच महीने बाद। उक्त आवेदन दायर करते समय, दूसरे प्रतिवादी ने दावा किया कि 16.3.2007 को दिया गया उसका साक्ष्य उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से नहीं था, बल्कि अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के कहने पर धमकी और जबरदस्ती के कारण था। दूसरे प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया था (आरोपी व्यक्तियों ने उसे खत्म करने की हद तक जाकर धमकी दी थी और ऐसी धमकी उसे 15.3.2007 को दी गई थी, जब आरोपियों ने दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ उसके गेहूं के खेत से उसका अपहरण कर लिया था) ,

(17) उस मामले के तथ्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने प्रथम न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया।

(18) 8) इद्दा और अन्य आबिदा और अन्य (1) में, शीर्ष अदालत ने माना कि निर्धारक कारक यह है कि क्या यह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। यह धारा केवल अभियुक्तों के लाभ तक ही सीमित नहीं है और इस धारा के तहत किसी गवाह को केवल इसलिए बुलाना अदालत की शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं होगा क्योंकि साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं, न कि अभियुक्तों के। (0 एआईआर 2007 एससी 3029

(19) ***एन नताशा सिंह*** बनाम **सीबीजे (राज्य) (2)**, 1 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार व्यवस्था दी: -

"इसलिए, सीआरपीसी की धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा केवल मजबूत और वैध कारणों से न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए, और इसका प्रयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।'

'कोई भी न्यायालय, किसी भी स्तर पर', या 'या कोई जांच', मुकदमा या अन्य कार्यवाही', 'कोई भी व्यक्ति' और 'ऐसा कोई भी व्यक्ति' जैसे शब्दों का बहुत ही उपयोग स्पष्ट रूप से बताता है कि इस धारा के प्रावधान व्यापक संभव शब्दों में व्यक्त किया गया है, और किसी भी तरह से न्यायालय के विवेक को सीमित नहीं करता है। इस प्रकार यदि प्राप्त किए जाने वाले नए साक्ष्य मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हैं तो उनसे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए, निर्धारक कारक होना चाहिए क्या उक्त गवाह को बुलाना/वापस बुलाना वास्तव में मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है।"

(20) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुझे विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रयोग किए गए विवेक में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। यहां की गई टिप्पणियों के अधीन और मामले के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तत्काल याचिका खारिज की जाती है।

जेएस मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ममता,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रोहतक, हरियाणा।